**मैसर्स आई. डी. पी. एल., ऋषिकेश, (हरिद्वार) उत्तर प्रदेश द्वारा निर्मित और गत पांच वर्षों के दौरान घटिया किस्म की पाई गई औषधों की संख्या**

| क्रम सं० | औषध का नाम और बैच नं० | वर्ष | घटिया पाए जाने के कारण |
|---|---|---|---|
| 1. | टेट्रासाइक्लिन कैपसूल्स आई पी बैच नं० 6307 | 1986 | सैम्पल पर लेबल नहीं था । |
| 2. | क्लोरामफेनिकोल कैपसूल्स बैच नं० 1882 | 1986 | सैम्पल पर उचित ढंग से लेबल नहीं लगाया जाता है । |
| 3. | टेट्रासाइक्लिन कैपसूल्स आइपी बैच नं० 6224 | 1987 | वजन में एकरूपता |
| 4. | जिसियोफुलविन गोलिया बैच नं० 3111 | 1988 | वर्णन के संबंध में (कुछेक गोलियां टूटी हुई पाई गई) । |
| 5. | ऑटसिन इंजेक्शन बैच नं० 117/सी | 1989 | वर्णन के संबंध में (पीला रंगीन अवक्षेप तले पर जमा पाया गया) । |
| 6. | टेट्रासाइक्लिन कैपसूल्स बैच नं० 6770 | 1989 | लेबल पर कैपसूल्स के खोल का रंग घोषित नहीं था । |

**बड़ी फर्मों द्वारा निर्यात लाभों का दुरुपयोग**

1161. **श्री रणजीत सिंह :**
**डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
**श्री धूलेश्वर मीणा :**
**श्री चतुरानन मिश्र :**
**श्री वी० नारायणसामी :**
**श्री राम जेठमलानी :**
**श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 अगस्त, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एक्पोर्ट बेनिफिट्स मिसयूज्ड बाइ बिग फार्मस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इन्स्टीट्यूट फार स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित तथ्यों का गहराई से अध्ययन किया है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त विज्ञप्ति में लगाए गए आरोपों एवं बताई गई खामियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या सरकार भविष्य में ऐसी खामियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई उपाय करने पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय के (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** (क) से (ङ) जी हां । इस संबंध में औद्योगिक नीति और व्यापार नीति में परिवर्तन करके तथा वर्ष 1991-92 के बजट के रूप में अनेकों सुधारात्मक उपाय किए गए हैं । इनमें से महत्वपूर्ण उपाय हैं—आयात को एक्सपोर्ट्स के माध्यम से निर्यात के साथ जोड़ना, आरपीए देशों को किये जाने वाले निर्यात के मामले में आरपीए देशों से आयात करना, संपरिवर्तनीय मुद्रा के रूप में सभी निर्यात पर तथा केवल संपरिवर्तनीय मुद्रा में की जाने वाली सभी निर्यात संविदाओं पर सभी निर्यात दायित्व लागू करना आदि ।